एकपक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अ... अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश की तामिल की उपरोक्तानुसार ... कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे तथा आदेश 39 नियम (3)(क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे अन्यथा अन्तरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अर्न्तनिहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा संशोधित कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 08.09.2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

08/9/25

पत्रावली पेश हो। वकील प्रार्थी उप। अप्रार्थी 1 से 5, 7 से 17, 19 से 21 के तामिल शुदा ... अप्रार्थी 6, 18 के नोटिस अप्राप्त। अप्रार्थी 01, 2 की ओर से वकील श्री सुन्डाराम जाट व अप्रार्थी 7, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 19 की ओर से वकील श्री परमानन्द शर्मा उप। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थी 6, 18 व जवाब अन्य अप्रार्थीगण दिनांक 28/10/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

C.No. 188/2025 उनवान श्रवण v/s ललिता देवी

26/9/25

प्रार्थीगण द्वारा हमारे समक्ष उप. होकर प्रा० पत्र वास्ते राजीनामा से प्रार्थना पत्र को विड्रो करने बाबत का पेश करने से पत्रावली नियत तिथी से पूर्व तलब की गई।

प्रार्थीगण को सुना गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजीनामा में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

श्रवण कुमार
घीसालाल